बिन्दु संख्या-1

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवष्यकता

1: कार्य का नाम:– **जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।**

2: कार्य की वास्तविक लम्बाई:– **6.00 किमी0**

3: कार्य की लागत:– **Rs. 200.16 लाख**

4: आगणन गठित करने का संदर्भ:– शा0सं0– 572/।।।(2) /2006–08 प्रा0आ0/06 दि0 28.03.2006 के अनुपालन में।

5: लोक सभा क्षेत्र का नाम:– अल्मोड़ा–पिथौरागढ़

6: विधान सभा क्षेत्र का नाम:– 52–अल्मोड़ा

7: लाभान्वित ब्लाक के नाम:– हवालबाग

8: लाभान्वित ग्रामों का नाम/कोड सं:–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	चितई तिवाड़ी	287
2	चितई पन्त	348
3	मन्योली	59
4	पूनाकोट	561
5	पेटशाल बाड़ी	35
	योग	**1290**

9: आगणन के मुख्य प्राविधान:– **मोटर मार्ग का नव निर्माण।**

10: **कार्य विषयक विस्तृत आख्या:–** उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा0दे0–572/।।।(2) /2006–08 प्रा0आ0/06 दि0 28.03.2006 द्वारा **किमी0 8.00 लम्बाई** हेतु **Rs. 200.16 लाख** की प्राप्त हुई है, मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर दोनों समरेखनों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है–

समरेखन 1:– इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4–6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी0 भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 13 हेमी0 4–6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी0 आती है, परन्तु इस 2.00 किमी0 का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा का पत्रांक–1076/769सी0 दि0 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं0 15मी0 स्पान, 01नं0 6मी0 स्पान, 01नं0 8मी0 स्पान तथा 01नं0 12मी0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

समरेखन 2:– इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4–6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी0 भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 13 हेमी0 4–6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03नं0 15मी0 स्पान, 01नं0 6मी0 स्पान, तथा 01नं0 12मी0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जी फल आदि का उत्पादन होता है, परन्तु सड़क न होने से स्थानीय जनता का विपर्णन का कार्य नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से भी अग्रणीय है। सड़क बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन की भी सम्भावनाऐं हैं। सड़क की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है।

समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे।

उपरोक्त गुण–दोष के आधार पर लाल रंग से दर्शाया गया समरेखन सं0–1 तकनीकि एंव उपर्युकता की दृष्टि से अधिक उपर्युक्त होने के कारण अनुमोदन हेतु संस्तुति कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अल्मोड़ा

प्रारूप-5

संख्या-572/ III-2/05-08(प्र.आ.)/05

1619

1910

5-4-06

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 29 मार्च, 2006

विषयः- वित्तीय वर्ष 2005-06 में 232(दो सौ बत्तीस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 232 कार्यों की लागत रू0 12255.16 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी 232 कार्यों पर रूपये 11585.35 लाख (रूपये एक सौ पन्द्रह करोड़ पिचासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न के कालम-5 के विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 2.32 लाख (रू0 दो लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेपण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य कर ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शा0सं0-452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं अनुभाग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

संलग्नः- उक्त आशय की शासनादेश की प्रतिलिपि संलग्न कर ... से तत्काल भिजवाने का कष्ट करें।

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा

शासनादेश संख्या-572/III(2)/06-08(प्रा.आ.)/06 दिनांक 29मार्च,2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष2005-06 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	नैनीताल में रानीबाग-भवाली मोटर मार्ग के किमी0 5 से 31 में पैरापिट रिटेनिंग वाल, डेलीनेटर इत्यादि	—	51.00	51.00	0.01
2.	हल्द्वानी में ग्राम हिम्मतपुर मल्ला के आंतरिक मार्ग	3.00	42.60	42.60	0.01
3.	बागेश्वर में कज्यूलीताल, कौसानी से ग्राम सीमा लतौलिया तक मोटर मार्ग निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.01
4.	पौड़ी में फूलचट्टी से कोटा तक मोटर मार्ग	9.00	222.25	219.40	0.01
5.	रायपुर-खादर-शंझावाला-किन्दूवाला-नेहरूग्राम मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार	6.00	111.64	109.00	0.01
6.	गरटखाल-पुल्यासू-उतिण्डा मोटर मार्ग को 2 किमी0 एल.वी.आर को मोटर मार्ग में विस्तार (द्वारीखाल)	7.00	172.50	172.50	0.01
7.	पीपलचौरा-कोलागाड मोटर मार्ग का विस्तार (जयहरीखाल)	5.00	69.50	69.50	0.01
8.	अल्मोड़ा घाट मोटर मार्ग चितई पन्त तिराहे से (हरी दत्त पेटशाली इंटर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग	8.00	290.36	200.16	0.01
9.	नैनीताल में लोवर शेर का डांडा क्षेत्र में कपूर लॉज तक पहुंच मार्ग निर्माण		6.32	5.85	0.01
10.	स्व0 अमरनाथ वांगा (मॉडल कालोनी में) सी.सी. मार्ग निर्माण	0.150	3.82	3.75	0.01
11.	अल्मोड़ा में धौलादेवी वि0ख0 के अन्तर्गत कुशैल बैण्ड से तोली-झिंगोली मार्ग का निर्माण	5.00	122.75	89.00	0.01
12.	पौड़ी के अन्तर्गत सातखाल-वांसी मोटर मार्ग	1.00	13.90	13.90	0.01
13.	पदोखा-बलगंगा में झूलापुल	90मी0	87.30	87.30	0.01
14.	घिलगना के अन्तर्गत हैडी बैण्ड से सेम-कफोलगांव मोटर मार्ग	5.00	65.20	65.20	0.01
15.	चकरेड़ा हल्का वाहन लिंक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन	3.25	17.55	17.55	0.01
16.	जनपद पौड़ी में पौड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डोभ, श्रीकोट-जागणाखाल, डुलाकीखाल मोटर मार्ग	13.00	223.50	166.50	0.01
17.	जनपद पौड़ी में ढाबखाल, अन्दरसौं जोग मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण	4.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सत्यापित प्रति

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-2

प्रमाण—पत्र

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण। (ल0 6.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि लीज में नहीं ली जाती है मोटर मार्ग का निर्माण हमेशा के लिए किया जाता है।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-5

NOTE FOR JUSTI FICATION

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटषाली इण्टर कालेज से आगे) पेटषाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
(लम्बाई 6.00 किमी0)

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम **चितई तिवाड़ी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट तथा पेटषाल बाड़ी ग्रामों** से होकर गुजरता है जिनकी आबादी **1290** है। यह मार्ग अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4—6 से प्रारम्भ होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिये दूर जाती है। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वें अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन—पालन तथा पठन—पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो पाएगी। गांव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्तपादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह समरेखन सिविल भूमि (राज्य भूमि) तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखन के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नही पड़ता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी है तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर ली गई है। मार्ग के निर्माण में **1.99875** है0 सिविल भूमि, **0.170** है0 वन पंचायत भूमि, **0.270** है0 आरक्षित भूमि भूमि (कुल 2.43875 है0 भूमि) तथा नाप भूमि **2.96125 है0** प्रभावित होती है उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम समरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन 1:— इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4—6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी0 भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 13 हेमी0 4—6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 7.700 किमी0 आती है, परन्तु इस 2.00 किमी0 का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा का पत्रांक—1076/769सी0 दि0 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं0 15मी0 स्पान, 01नं0 6मी0 स्पान, 01नं0 8मी0 स्पान तथा 01नं0 12मी0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

समरेखन 2:— इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4—6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी0 भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 13 हेमी0 4—6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03नं0 15मी0 स्पान, 01नं0 6मी0 स्पान, तथा 01नं0 12मी0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण 01 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 2.43875 है0 भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी0 तथा चौड़ाई 9.00 मीटर में ली गई हैं। उक्त भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्तावित सिविल भूमि (राज्य भूमि) का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता नि.ख.लो.नि.वि अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता नि.ख.लो.नि.वि अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता नि.ख.लो.नि.वि अल्मोड़ा

अल्मोडा–घाट मोटर मार्ग के चितई तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल0 6.00 किमी0)

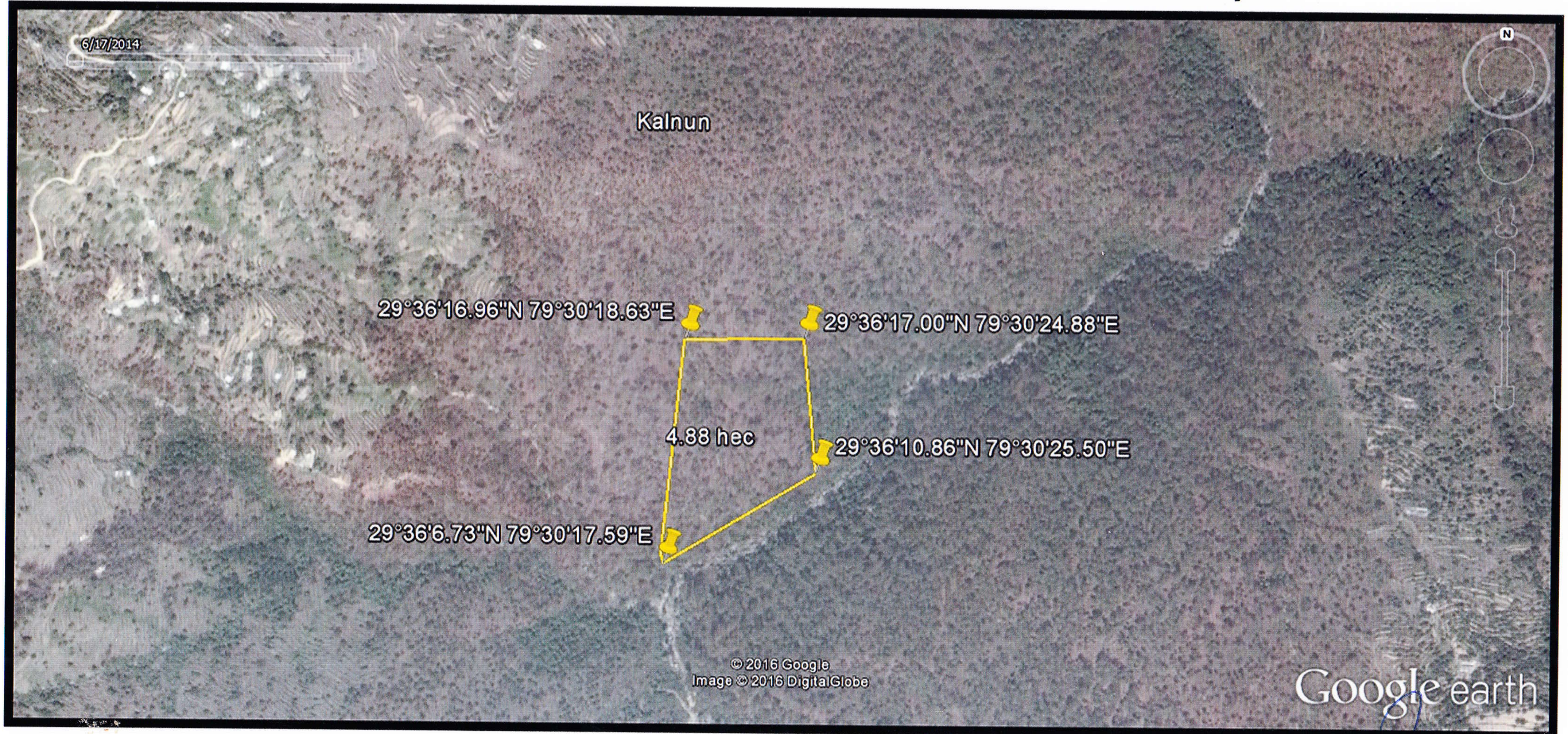

Legend

Plantation Zone

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई तिराहे से(हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे)
पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल0 6.00 किमी0)

1:50,000

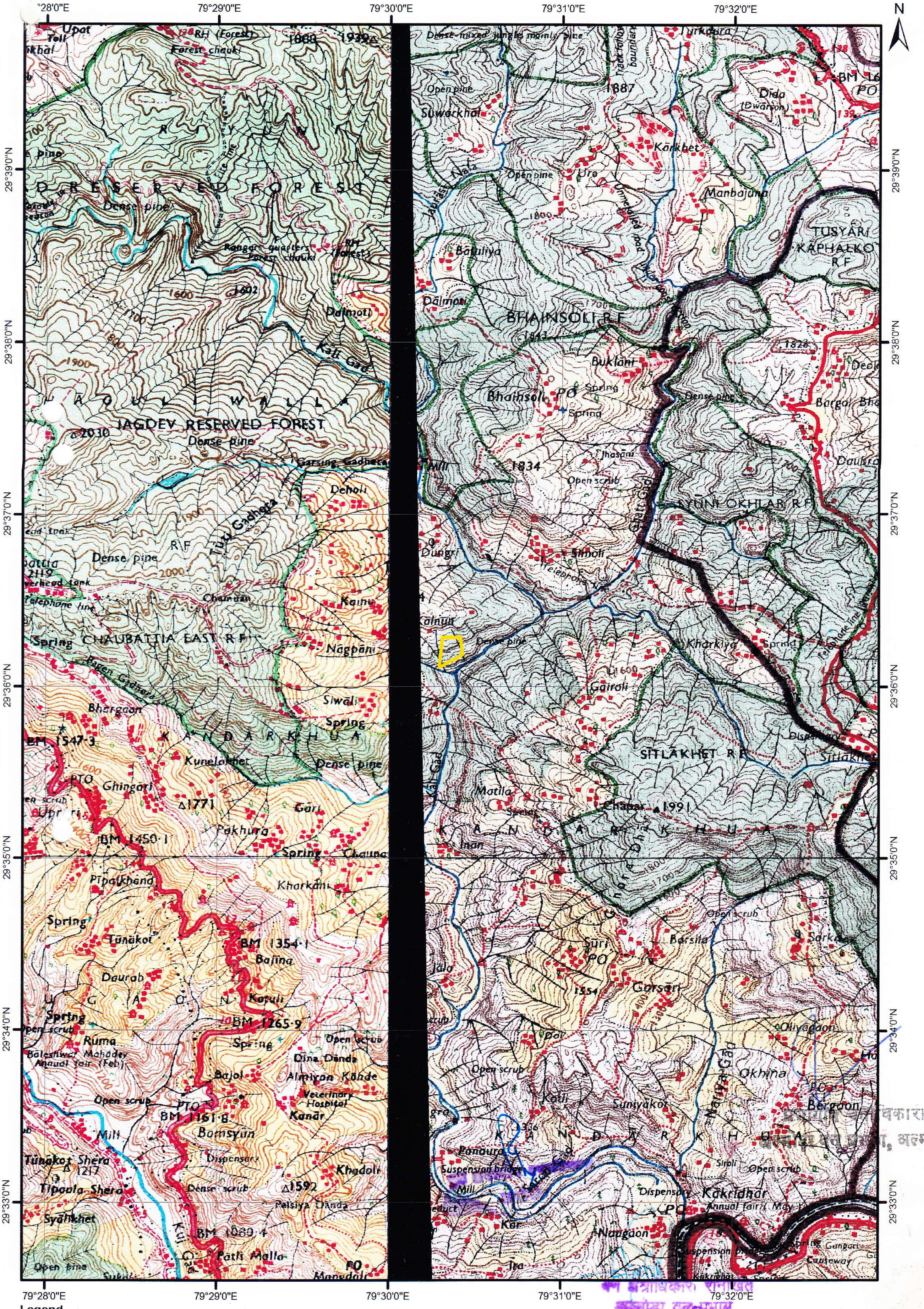

Legend

Plantation Zone

अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल0 6.00 किमी0)

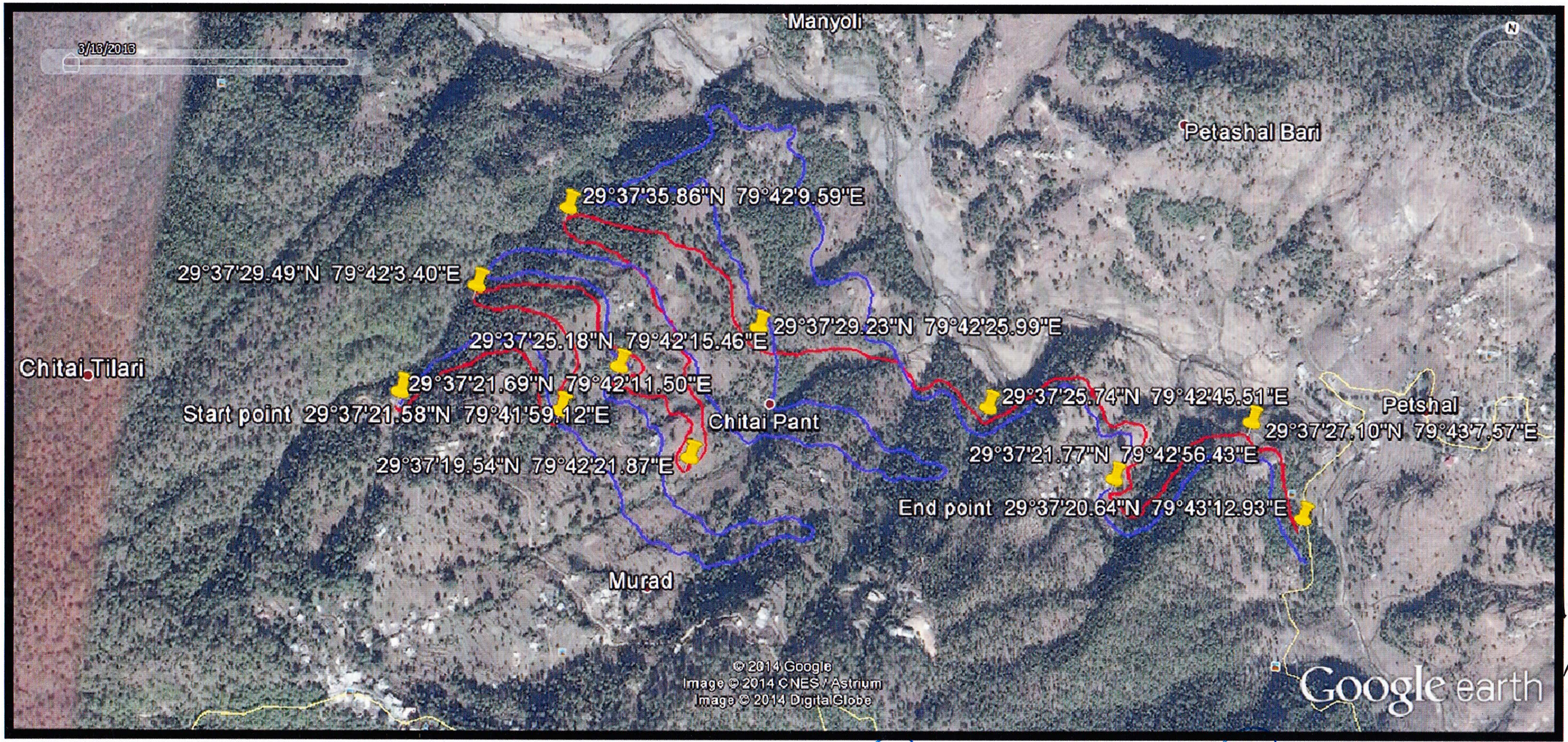

Proposed Road Alignment

Alternate Road Alignment

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-5

विन्दु संख्या-6

प्रपत्र--23

परियोजना का नामः— जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम--

तहसील-- जिला--अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे0 सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे0 अर्थात कुल 2.43375 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चितई पंत द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितईतिवारी, चितई पन्त, गन्योली, पुनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि0ख0-हवालबाग (अल्मोड़ा)
ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत चितई पंत
वि0ख0-हवालबाग (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23 / फा०सं०-30.3

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम–

तहसील– जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे0 सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे0 अर्थात कुल 2.43375 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चितई तिवारी द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितईतिवारी, चितई पन्त, मन्योली, पुनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी [illegible] चितई तिवारी
ग्राम सचिव [illegible] (अल्मोड़ा)

प्रधान
ग्राम प्रधान [illegible] तिवारी
विकास खण्ड हवालबाग
जिला–अल्मोड़ा

प्रपत्र—23.1/ प्रारूप -30 A

दिनांक 11/09/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	कैलाश राम	कैलाश राम
2	गोविन्द राम	गोविन्द राम
3	चन्दन राम	चन्दन राम
4	मनोज कुमार	मनोज कुमार
5	दिवान सिंह	[illegible]
6.	हिरा सिंह	[illegible]
7.	गिरीश लाल	Girishlal

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
श्री [illegible] तिवारी
वि०ख० हवालबाग (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible] तिवारी
विकास खण्ड हवालबाग
जिला अल्मोड़ा

प्रपत्र—23.1

दिनांक 11/09/2011 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	हरीश लाल	[illegible]
	मोहन कार्की	गिरीश राम
		[illegible]
	जगदीश प्रसाद	[illegible]
		[illegible]
	कविन्द्र कार्की	कविन्द्र कार्की
	मनोहर सिंह	[illegible]
	[illegible]	पूरन राम
	[illegible]	कमलेश कुमार
	[illegible]	रामलाल

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र- चिलई पंत
[illegible] (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान
प्रधान V. Pant
ग्राम पंचायत, चिलई पंत
[illegible] (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.1/प्रारूप–30–अ

दिनांक 11/09/2014 .... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दिवान सिंह	दिवान सिंह
2	नारायण सिंह	नारायण सिंह
3	देवेन्द्र सिंह	देवेन्द्र सिंह
4	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
5	जैन्दर सिंह	जैन्दर सिंह
6	हर सिंह	हर सिंह
7	नवीन चन्द्र	नवीन चन्द्र
8	महेश सिंह	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र–[illegible]
वि0ख0 हवालबाग (अल्मोड़ा)

प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible] तिवारी
विकास खण्ड हवालबाग
जिला – अल्मोड़ा

प्रपत्र—23.2 / प्रारूप 3.0.2

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी0) (0.2700 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे0 सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे0 अर्थात कुल 2.43875 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सोमेश्वर) की दि0 25/07/015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रिंकू बिष्ट .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्रीमती रिंकू बिष्ट .... उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष

2— श्री भगवत सिंह जीना, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

3— .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा.... सदस्य / सचिव

4— श्री [illegible] सिंह रौतेला बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड .... परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा मे चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि नि0ख0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-..................., जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-..................... जनपद अल्मोड़ा

16

FORM-II

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

Dated. 1-12-14.............

No.........................

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal Village (s) in Almora tahsils**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure..............

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal** villages (s) is enclosed as annexure ....

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

01/12/14

Vinod kumar Suman
District Collector Almora

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

FORM-II

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

Dated 1-12-19...............

No.............................

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal Village (s) in Almora tahsils**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure................

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal** villages (s) is enclosed as annexure ....

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

01/12/19

Encl: As above

Vinod kumar Singh
District Collector, Almora

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
अल्मोड़ा

प्रपत्र-30.1

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 01.12.14 at time 11.00 AM at Almora in which application claiming rights in **Chatai Pant** area measuring **2.43875** hec. for the for **Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

01.12.14

Place; Almora

Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Committe

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या – 8

प्रपत्र–42

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :– ग्राम कालनू — क्षेत्रफल (है0) 4.88

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (1100 पौधे / है0) 5368 — 1100

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई (है0 / सं0)	इकाई दर (`)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.8800	97.00	473.36
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	4.8800	584.00	2849.92
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग)	4.8800	2516.85	12282.23
4	मृदा एवं जल संरक्षण एव संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	4.8800	7540.00	36795.20
5	गड्डा खुदान (0.30X0.30X0.45)	5368	7.30	39186.40
6	निरीक्षण बटिया बनाना	4.8800	485.00	2366.80
7	पौधों का मूल्य	5368	6.85	36770.80
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	4.8800	400.00	1952.00
9	अन्य कार्य	4.8800	400.00	1952.00
	योग :– (प्रथम चरण)			**134628.71**
	द्वितीय चरण			
1	गड्डा भरान (0.30X0.30X0.45)	5368	1.15	6173.20
2	पौधों का मूल्य	5368	1.15	6173.20
3	पौध ढुलान कार्य	5368	6.39	34301.52
4	पौधा रोपण व थावलाबन्दी	5368	2.06	11058.08
5	निराई, गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	5368	0.76	4079.68
6	खाद व दवा पर व्यय	4.8800	420.00	2049.60
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	12 Month	6000.00	72000.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	4.8800	445.00	2171.60
	8.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ़ के बाहर 4मी0 की पट्टी साफ करना	4.8800	450.00	2196.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूगता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्सान देना	4.8800	500.00	2440.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने हेतु पॉलीशीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेटेशन आदि कार्य	4.8800	487.00	2376.56

10	अन्य कार्य	4.8800	500.00	2440.00
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण			**147459.44**
	वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	4.8800	450.00	2196.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	4.8800	270.00	1317.60
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.8800	300.00	1464.00
3	अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00
	योग :– (प्रथम वर्ष रख–रखाव)			**78441.60**
	वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00
	योग :– (द्वितीय वर्ष रख–रखाव)			**73464.00**
	वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00
	योग :– (तृतीय वर्ष रख–रखाव)			**73464.00**
	वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00
	योग :– (चतुर्थ वर्ष रख–रखाव)			**73464.00**
	वृक्षारोपण का पांचवे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00
	योग :– (पंचम वर्ष रख–रखाव)			**73464.00**
	वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00
	योग :– (छठे वर्ष रख–रखाव)			**73464.00**
	वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00
	योग :– (सातवें वर्ष रख–रखाव)			**73464.00**
	वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	अन्य कार्य	4.8809	300.00	1464.00
	योग :– (आठवें वर्ष रख–रखाव)			**73464.00**

	वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख--रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00
	योग :-- (नवें वर्ष रख--रखाव)			**73464.00**
	वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख--रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00
2	अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00
	योग :-- (दसवें वर्ष रख--रखाव)			**73464.00**
	कुल योग :--			**1021705.75**
	या :--			**1021700.00**

नोट :-- उक्त अंकित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि स्तह ही मानी जायेगी

वन क्षेत्राधिकारी, रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र—43

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटषाली इण्टर कालेज से आगे) पेटषाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
(लम्बाई 6.00 किमी0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित कालनू सिविल भूमि स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी, रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

MUCK DISPOSAL EXCERSISE INDEX

1. Construction of **link road to haridath petshali Inter College to Chatai pant tiraha** muck disposal annexure I .

2. Details of muck disposal yards with lana owner annexure II

J.E.	A.E	E.E
C.D., P.W.D. Almora	C.D., P.W.D. Almora	C.D., P.W.D. Almora

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

परियोजना का नामः— जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग (लम्बाई 6.00 किमी0)

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,** **अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,** **अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,** **अल्मोड़ा**

ANNEXURE-I

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज तक लिंक मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 6 किमी0)

S.No.	Meterial receiving from hill citting 1/2(6000x3x3)	27000	cum
	40% for swell factor	10800	cum
	Total	37800	cum
Disposal and Use of Material			
1	R.R. Stone Masonary laid in 1:5-	10626.00	cum
2	R.R. Stone Masonary laid in dry- 1x6x250(0.90+0.60)/2x1.80	2025.00	cum
3	Hand packed stone filling- 1x6x1/2x350x1x4	4200.00	cum
4	Construction of Scupper- 1x6x8x37.09	1780.32	cum
5	Soling work- 1x6x1000x4.05x0.12	2916.00	cum
6	Construction of pucca drain- 1x6x450x0.60x0.60	972.00	cum
7	Construction of wire creat- 1x6x10x6.75	405.00	cum
	Total used	**22924.32**	**cum**
	Material disposal by cartage in dumping yard	**14875.68**	**cum**

Location and Quantity of Dabries Disposal

Location of dumping yard	Size of Dumping yard	Type of Land	Capacity of dumping yard (Cum)
KM 1 HEC (8-10)	37x5x6	Private Land	1110
KM 1 HEC (8-10)	35x6x6	Private Land	1260
KM 1 HEC (8-10)	40x6x5	Private Land	1200
KM 2 HEC (4-6)	33x6x5	Private Land	990
KM 2 HEC (4-6)	37x5x5	Private Land	925
KM 3 HEC (6-8)	35x6x5	Private Land	1050
KM 3 HEC (6-8)	40x6x5	Private Land	1200
KM 5 HEC (4-6)	45x6x6	Private Land	1620
KM 5 HEC (4-6)	37x4x5	Private Land	740
KM 5 HEC (4-6)	35x6x5	Private Land	1050
KM 5 HEC (4-6)	40x6x4	Private Land	960.00
KM 06 HEC (2-4)	35x4x5	Private Land	700.00
KM 06 HEC (2-4)	56x4x4.5	Private Land	1008.00
KM 06 HEC (2-4)	35x6x5	Private Land	1050.00
	Total		14863.00

Summary of Dabries Disposal

S.No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in dumping Zone	Balance Dabries
	37800.00	14875.68	22924.32	14875.68	-

प्रतिहस्ताक्षरित

J.E.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग

A.E.
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

E.E.
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

ANNEXURE-II

Details of Muck Diposal Yards with Land Owner Detail

S. No.	Chainage	Name of Land Owner & Village	Land in Hec.	Land in sqm	Land area being used for dumping yard (sqm.)	Longitude	Latitude
1	KM 1 HEC (8-10)	Shri Geeta Pant W/0 Sri Rajendra Prakash, Vill-Chitai Pant, P.o.-Chitai	0.028	280.00	280.00	29°37'26.90"N	79°42'9.66"E
			0.004	40.00	40.00	29°37'26.90"N	79°42'9.66"E
2	KM 2 HEC (4-6)	SMT. Chanra devi W/0 Sri Har Ram, Vill-Chitai Pant, P.o.-Chitai	0.013	130.00	130.00	29°37'25.96"N	79°42'17.83"E
			0.014	140.00	140.00	29°37'25.96"N	79°42'17.83"E
3	KM 2 HEC (4-6)	SMT. Heera devi W/0 Sri Bihari Ram, Vill-Chitai Pant, P.o.-Chitai	0.019	190.00	190.00	29°37'25.96"N	79°42'17.83"E
4	KM 3 HEC (6-8)	SMT. Dhanuli devi W/0 Jaman Singh, Vill-Chitai tiwari, P.o.-Chitai	0.015	150.00	150.00	29°37'31.58"N	79°42'24.52"E
5	KM 3 HEC (6-8)	Shri Gopal Singh S/0 Mohan Singh, Vill-Chitai tiwari, P.o.-Chitai	0.021	210.00	210.00	29°37'31.58"N	79°42'24.52"E
6	KM 5 HEC (4-6)	SMT. Hema Tiwari W/0 Puran Chandra, Vill-Chitai tiwari, P.o.-Chitai	0.02	200.00	200.00	29°37'29.43"N	79°42'54.50"E
7	KM 5 HEC (4-6)	Shri Gauri Dutt S/0 Tara Dutt, Vill-Chitai tiwari, P.o.-Chitai	0.033	330.00	330.00	29°37'29.43"N	79°42'54.50"E
8	KM 5 HEC (4-6)	Shri Sanjay Chandra S/0 Girish Chandra, Vill-Chitai tiwari, P.o.-Chitai	0.031	310.00	310.00	29°37'29.43"N	79°42'54.50"E
9	KM 06 HEC (2-4)	Shri Girish Lal S/0 Nathu Ram, Vill-Myunoli, P.o.-Chitai	0.029	290.00	290.00	29°37'21.67"N	79°42'58.61"E
			0.011	110.00	110.00	29°37'21.67"N	79°42'58.61"E
			0.006	60.00	60.00	29°37'21.67"N	79°42'58.61"E
1	KM 06 HEC (2-4)	Shri Harish Singh S/0 Gusain , Vill-Myunoli, P.o.-Chitai	0.015	150.00	150.00	29°37'21.67"N	79°42'58.61"E
			0.038	380.00	380.00	29°37'21.67"N	79°42'58.61"E
		Total	**0.297**	**2970.00**	**2970.00**		
					0.297 hec.		

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

J.E.

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

A.E.

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

E.E.

चिन्ह संख्या-10

प्रमाण—पत्र

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण। (ल0 6.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि 0.27है0 आरक्षित भूमि को मक डिस्पोजल प्लान में सम्मिलित किया गया है। मक डिस्पोजल प्लान मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है। पुनः मक डिस्पोजल प्लान आन लाइन कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।

11/3/16

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा